FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0039 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 10/02/2026 14:29 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(1)(d)
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(2)
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(1)(a)
4	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(2)
5	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 01/02/2015 **Date To (दिनांक तक):** 31/12/2019

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 11:00 बजे **Time To (समय तक):** 17:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 10/02/2026 **Time (समय):** 13:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 10/02/2026 14:29:04 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 20 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** GRAM PANCHAYAT TILORA, AJMER

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** NARENDRA SINGH RATHORE

(b) **Father's/Mother's/Husband's Name (पिता / माता / पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 13/02/1975 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	MAYAPUR, PARBATSAR, Kotwali Nagaur, NAGAUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	MAYAPUR, PARBATSAR, Kotwali Nagaur, NAGAUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	PRAKASH KANWAR		पति:RAJ SINGH	1. BUS STAND KE PASS,TILORA,AJMER,RAJASTHAN,INDIA
2	PURAN SINGH RATHOR		पिता:NANDA SINGH RATHOR	1. KANWALI POST ADAB WAYA KAREL,AJMER,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	अन्य	विविध	पद का दुरूपयोग	

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

प्रकरण हाजा के संक्षिप्त हालात इस प्रकार निवेदन है कि निवेदन हैं कि परिवाद संख्या एच 1969/2020 में वर्णित तथ्य कि पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत तिलोरा प्रकाश कंवर एवं उसके पति राजसिंह एवं ग्रामसेवक पूरण सिंह द्वारा सरपंच कार्यकाल 2015 से 2019 के बीच भयंकर भ्रष्टाचार किया गया और खूब अवैध सम्पति इकठी की गई हैं और पद का दुरुपयोग करते हुए राज्य सरकार को लाखों रुपयों की हानि पहुंचाई गई हैं जिसका विवरण इस अनुसार हैः- 1. ग्राम पंचायत तिलोरा के सरपंच द्वारा शौचालय निर्माण हेतु 12000 रू राशि के 550 चैक काटे गये परन्तु कुल शौचालय 300 ही बने। बाकी 250 शौचालय का नामोनिशान ही नहीं हैं। एक ही व्यक्ति को 2-3 बार परिजनों के नाम से पेमेन्ट किया गया और आधे पैसे खुद ने लिए हैं। इन फर्जी 250 शौचालय के 12000 के चैक में से 6000 सरपंच पति ने लिए और 6000 संबंधित व्यक्ति को दिए गए हैं। उक्त राशि लाभार्थी ने बैंक से निकलाकर सरंपच को दी हैं या पहले एडवांस में नकद दी है। ग्राम पंचायत में इसके उपयोगिता प्रमाण पत्र तक संधारित नहीं है। 2. ग्राम पंचायत तिलोरा में सरपंच द्वारा टीनशेड निर्माण के तहत 60000 की लागत वाले 80 से 90 चैक काटे गए परन्तु पूरी ग्राम पंचायत में 10 से ज्यादा टीनशेड अस्तित्व में ही नहीं हैं। इसकी जाँच ग्राम पंचायत तिलोरा के रेकार्ड से की जा सकती है। इस स्कीम में भी 40000 रू. प्रति लाभार्थी रिश्वत प्राप्त कर फर्जी कार्य दिखाया गया हैं और सरकार को लाखों रूपयों का चूना लगाया गया है। 3. ग्राम पंचायत तिलोरा में सरपंच द्वारा इन्द्रा आवास या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 165000 रु प्रति कार्य के हिसाब से 30 कार्य बताए गए हैं जबकि पूरे ग्राम पंचायत में मात्र 8 मकान ही बनाये गए हैं शेष राशि फर्जी कार्य बताकर सरपंच और सरपंच पति द्वारा हडप ली गई है इस कार्य में प्रति लाभार्थी से 80 हजार रूपये एडवासं लेकर चैक जारी किए गए हैं। कार्यों के भौतिक सत्यापन किए गए पेमेन्ट कर दिया गया । 4. सरपंच, ग्राम पंचायत तिलोरा द्वारा विगत 5 वर्षों में ग्राम पंचायत क्षेत्र में होटल, फैक्टरी और पोल्ट्री फार्म हाउस के लिए नियम विरुद्ध एनओसी जारी की। सभी एनओसी आधे अधूरे कागजों से पैसे लेकर जारी की गई जिससे ग्रामीणों के हित प्रभावित हुए हैं जिसकी जाँच कराई जानी चाहिए। एक भी एनओसी की पंचायत कॉपी नही रखी गई हैं और एनओसी देने में नियमों की अवहेलना की हैं। 5. ग्राम पंचायत तिलोरा में नरेगा में सरपंच ने फर्जी नाम चलाये और उससे पैसा कमाया। जिन लोगों को नरेगा में कार्यरत दिखाया गया वो कभी नरेगा में कार्य करने नहीं गए सिर्फ उनके खाते में पैसा जमा हुआ जिसका 60 प्रतिशत स्वंय सरंपच ने लिया और 40 प्रतिशत नाम वाले आदमी को दिया गया। इस प्रकरण में आप निम्न दो तीन नामों की विशेष जाँच करें- शिवपाल सिंह मेट के चार नाम फर्जी सरपंच के देवर एवं जेठ के फर्जी नाम हनुमान सिंह वार्ड पंच के परिवार के फर्जी नाम 6. ग्राम पंचायत तिलोरा में पिछले पांच वर्षों में जो कार्य करवाया गया उसके कई महत्वपूर्ण कागज गायब हैं। कई टेण्डर में तकनीकी और कागजी कमियां होते हुए भी फर्मों को पूरा पेमेन्ट कर रिश्वत खाई गई है और आधे अधूरे कागजों से जनता को गुमराह किया जा रहा है। लाखों रुपयों के टेण्डर की कोई पत्रावली संधारित नही है और न ही कोई कार्य राजकीय नियमानुसार किया गया है। ग्राम पंचायत में इनके दस्तावेज तक संधारित नही है । 7. ग्राम पंचायत तिलोरा के अन्दर आने वाले तीन गांव तिलोरा, किशनपुरा और गोवलिया के लोगों से पंचायत में जमा होने वाली राशि के अतिरिक्त रिश्वत लेकर पट्टे जारी किए गए। उक्त अतिरिक्त राशि 5000 से लेकर 70000 रु. तक थी । सिर्फ रुपये लेकर ही पट्टे जारी किए गए है उक्त पट्टों का रेकार्ड ग्राम पंचायत में आधा अधूरा हैं और करीब 70 पट्टे तो बगैर फाईल तैयार हुए ही जारी किए गए जो कि सरपंच ने अपने कार्यकाल के आखिरी 3-4 माह में जारी किए है। इन पट्टों को जारी करने में नियमों की घोर अवहेलना की गई हैं। न तो पट्टों के संबंध में जनता से आपत्ति मांगी गई और न ही किसी भी पट्टा आवेदक को रसीद दी गई हैं और न ही कोई रसीद का रेकार्ड कार्यालय में उपलब्ध हैं। स्वयं सरपंच ने अपने देवर, जेठ, ससुर एवं स्वयं के नाम पर बगैर कागजी कार्यवाही किए 6-7 पट्टे जारी कर लिए गए हैं जिनकी फाईल तक नहीं है और न ही

नियमानुसार बनाये गए हैं। इस कार्य में ग्राम सेवक पूरण सिंह बराबर का भागीदार हैं। रिश्वत मे मिलने वाली 25 प्रतिशत राशि ग्रामसेवक लेता था। सरपंच और सरपंच पति ने पट्टों से लगभग 70 लाख रुपये की अवैध संपति इकठी की हैं। 8. ग्राम पंचायत तिलोरा के अन्तर्गत ग्राम गोवलिया में एक नाडी निर्माण दिखाकर लगभग 6 लाख रुपये का भुगतान उठाया गया और फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए जबकि मौके पर एक तगारी जितना भी कार्य नही करवाया गया। यह पूरी तरह फर्जीवाडा किया गया है 9. सरपंच और सरपंच पति द्वारा ग्राम तिलोरा में नाका वाली बेरी तिलोरा-थांवला रोड के पास करीब 8-10 बीघा कृषि भूमि ससुर उम्मेद सिंह एवं पति राजसिंह के नाम से खरीदी सरपंच और सरपंच पति द्वारा अपनी उक्त जमीन पर जाने के लिए सरकारी पैसे का दुरुपयोग करते हुए नरेगा के तहत बरडा रोड का निर्माण करा लिया जो कि 3 किमी लम्बी हैं। इस रोड बनाने में नरेगा श्रमिकों और नरेगा सामग्री का उपयोग किया गया और सरकार को लाखों रूपयों की चपेट लगाई गई क्योंकि उक्त रोड का फायदा मात्र सरंपच को ही हो रहा हैं। यह रोड भी सरकारी जमीन-वन विभाग की जमीन पर बगैर एनओसी लिए बनाई गई हैं। 10. ग्राम पंचायत तिलोरा में गौरव पथ निर्माण हेतु बस स्टेण्ड से नाका बेरी तक पूर्व में बनी फर्शी की रोड को हटाया गया था जिसमें लाखों रुपयों की फर्शी / खरंजा साबूत निकली थी उक्त फर्शी को सरपंच और सरपंच पति अपने नाका बरी वाली जमीन तिलोरा थांवला रोड पर ले गया और हडप कर लिया। उक्त फर्शी/ खरंजा सरकारी पैसे खरीदी हुई सरकारी सम्पति थी जिसे सरपंच और सरपंच पति द्वारा हडप कर सरकार को लाखों रूपयों की हानि पहुंचाई गई हैं। आज भी उक्त फर्शी नाका बेरी वाली जमीन तिलोरा थांवला रोड) पर रखी हुई है। उक्त फर्शी / खरंजा की बाजार कीमत 4 लाख रुपये के करीब है। 11. सरपंच पति के स्वयं के तारबंदी के खंभे की फेक्टरी है जो कि नाका बेरी वाली जमीन तिलोरा-थांवला रोड पर हैं और पूरे पांच साल पंचायत में कार्य आने वाली सीमेन्ट, कंकरीट ट्रेक्टर में भरकर इनके खेत पर चोरी चुपके से जाई जाती रही और उस सरकारी मेटेरियल से ही इनके खेत पर बनी फैक्टरी में खंभे बनाकर निजी लाभ उठाया गया है। इनके पास निजी सीमेन्ट खरीद के कोई बिल नहीं हैं। 12. सरपंच नें स्वयं के ट्रेक्टर और जेसीबी को राजकीय कार्यों में लगाकर फर्जी घंटे बताकर लाखों रूपयों का चूना सरकार को लगाया हैं जबकि सरपंच अपने स्वयं के संसाधन पंचायत में प्रयोग नही कर सकता बावजूद इसके सरपंच और सरपंच पति ने पूरे पांच साल अपने संसाधनों को ग्राम पंचायत में कार्यरत दिखाकर लाखों रूपयों का फर्जीवाडा किया है जिसकी विस्तृत जाँच कराई जानी चाहिए। नरेगा के कार्यों में भी सरपंच पति ने अपनी जेसीबी लगा बताकर लाखों का भुगतान उठाया है जिसकी पुष्टि ग्राम पंचायत तिलोरा के रिकार्ड से की जा सकती है। 13. सरपंच, ग्राम पंचायत तिलोरा ने विगत पांच सालों में अपने चहते लोगों को ही ठेके दिए हैं जिसमें भेरू माली, हरी रावत और मोटा सिंह प्रमुख है। इन सभी लोगों को नियमों के विरुद्ध ठेके दिए गए और इनसे कार्य करवाया गया। ग्राम पंचायत तिलोरा के कई कार्यों के बिल इन तीन चार लोगों के नाम से ही पास हुए हैं। 14. ग्राम पंचायत में दस लाख रु० का चेक घोटाला भी हुआ है जिसमें किसी तीसरे व्यक्ति के नाम चेक काटकर गबन किया गया और उस राशि का आज तक समायोजन नहीं हो पाया । चेक ग्राम सेवक व सरपंच के साईन से कटा और पैसा गबन किया गया है। 15. इस सरपंच और सरपंच पति ने काली कमाई से 8-10 बीघा जमीन ग्राम तिलोरा के पास में खरीदी जो कि दूसरी ग्राम पंचायत कडेल के एक ग्राम की जमीन हैं और ग्राम तिलोरा की सीमा से सटी हुई हैं। इस सरपंच ने सरकारी खर्च से इस जमीन तक जाने के लिए रोड बनाई और सरकार के 10 लाख रुपये बर्बाद कर दिए जो कि जनता के काम आने चाहिए थे । इस सरपंच और सरपंच पति ने ग्राम तिलोरा में टयूब वेल सैंक्शन करवाकर इस खेत पर बोरिंग करवा लिया जबकि ये खेत ग्राम पंचायत तिलोरा की परिधि में ही नहीं है। और पंचायत खर्च से ही गायों को पानी पिलाने के नाम पर एक मोटर भी खरीद कर इस खेत के बोरिंग पर लगा दी और सरकारी खजाने को हानि पहुंचाई । 16. इस सरपंच ने गांव में पानी सप्लाई के लिए डाली गई लोहे की पाईप लाईन को ही गायब कर दिया और अपने घरेलू काम में ले लिया। इन पाइपों की कीमत भी लाखो मे है। 17. इस सरपंच ने गांव तिलोरा में रोड लाईट लगवाई जबकि रोड लाईट के लिए न तो स्वीकृति ली गई और न ही कोई फाईल चलाई गई। मंहगी लाईटे खरीद कर सरकार को हानि पहुंचाई और रोड लाईट का बिल तक नही भरा जिससे पंचायत पर लाखों का वित्तीय भार आ गया । बाद में विद्युत विभाग ने रोड लाईट का कनेक्शन काट दिया और आज भी बिल बकाया ही हैं । ये सारा काम इन्होने कार्यकाल के आखिरी 3 महिने में किया और भ्रष्टाचार किया । 18. इस सरपंच का सारा काम इसका पति राजसिंह ही देखता था और सरपंच के साईन भी वो खुद ही करता था। सरपंच को पूरे कार्यकाल में 3 लाख रुपये का मानेदय ही मिला पर इन्होंने लाखों की चल अचल सम्पति इक्कठी कर ली जिसमें कार, ट्रेक्टर, पिकअप, जेसीबी, मोटरसाईकिल, बुलेट आदि खरीद लिए और लाखों रूपये नकद जमा किए जो पट्टों व फर्जी कामों में कमाए । 19. इस सरपंच व सरपंच पति ने जमवाय बॉडी एवं ट्रोली वर्क्स शॉप, तिलोरा व श्री बाबा रामदेव तार फेन्सिंग, तिलोरा के नाम से फर्मे बना ली है और कमाए हुए पैसे को सफेद कर रहे हैं। 20. सरपंच और सरपंच पति के कई प्लाट व खेती की जमीन, बाडे खरीदे हैं और कुछ बैंकों में भी पैसा जमा करा रखा हैं जो उसके परीजनों के नाम हैं। 21. सबसे खास बात यह हैं कि इस सरपंच और सरपंच पति ने अपना कार्यकाल जनवरी 2020 में खत्म हो जाने के बाद आज तक भी नये सरपंच को पूरा पंचायत का रेकार्ड नहीं संभलाया है और आधा अधूरा रिकार्ड पंचायत में पटक दिया जबकि कई खास फाईले खुद के पास रख ली है या ग्राम सेवक पूरण सिंह के गनाहेडा स्थित मकान पर छिपा कर रखी हुई है। आदि-आदि आशय की शिकायत समस्त ग्राम वासी तिलोरा किशनपुरा व गोवलिया की तरफ से ब्यूरो में प्राप्त होने पर मामला पद के दुरूपयोग का होकर

भ्रष्टाचार से सम्बन्धित होने पर सक्षम अधिकारी से जांच/अनुसंधान प्रारम्भ करने हेतु धारा 17 ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत पूर्वानुमोदन चाहे जाने पर अतिरिक्त आयुक्त एंव शासन उप सचिव (द्वितीय) पंचायती राज विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक एफ 3(45)पंरावि/जांच/अजमेर/2023/ई-फाईलः-17011 जयपुर दिनांक 28.11.2025 के द्वारा पूर्वानुमोदन प्राप्त हुआ है।अतः आरोपीगण श्रीमती प्रकाश कंवर पत्नि श्री राज सिंह उम्र 29 साल निवासी बस स्टेण्ड के पास ग्राम व पोस्ट तिलोरा जिला अजमेर तत्कालीन सरपंच गाम पंचायत तिलोरा जिला अजमेर व पूरण सिंह राठौड पुत्र श्री नंदा सिंह राठौड उम्र 57 साल निवासी ग्राम कंवलाई पोस्ट (अडाब) वाया कडैल जिला अजमेर तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत तिलोरा हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत घूघरा पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण द्वारा आपराधिक षड्यन्त्र कर अपने-अपने पद का दुरूपयोग कर लोक कर्तव्यों का अनुचित रूप से बेईमानी से कार्य करने का आपराधिक कृत्य किया जाना प्रथम दृष्ट्या पाया गया है। अतः आरोपित (1) श्रीमती प्रकाश कंवर पत्नि श्री राज सिंह उम्र 29 साल निवासी बस स्टेण्ड के पास ग्राम व पोस्ट तिलोरा जिला अजमेर तत्कालीन सरपंच गाम पंचायत तिलोरा जिला अजमेर व (2) पूरण सिंह राठौड पुत्र श्री नंदा सिंह राठौड उम्र 57 साल निवासी ग्राम कंवलाई पोस्ट (अडाब) वाया कडैल जिला अजमेर तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत तिलोरा हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत घूघरा पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण, के विरूद्ध धारा 13(1)डी,13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988/ 13(1) ए, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 120 बी भा.द.स. का कारित किया जाने से बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते क्रमांकन श्रीमान् महानिदेशक भ्र0नि0ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवा में सादर प्रेषित है। (नरेन्द्र सिंह) निरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर.....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नरेन्द्र सिंह, निरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)डी,13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 व 13(1) ए, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भा.द.स. में आरोपित (1) श्रीमती प्रकाश कंवर पत्नि श्री राज सिंह उम्र 29 साल निवासी बस स्टेण्ड के पास ग्राम व पोस्ट तिलोरा जिला अजमेर तत्कालीन सरपंच गाम पंचायत तिलोरा जिला अजमेर व (2) पूरण सिंह राठौड पुत्र श्री नंदा सिंह राठौड उम्र 57 साल निवासी ग्राम कंवलाई पोस्ट (अडाब) वाया कडैल जिला अजमेर तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत तिलोरा हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत घूघरा पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण, के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री झाबरमल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 153 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राजस्थान, जयपुर । क्रमांक 215-19 दिनांक 10.02.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर 2- शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर 3- विकास अधिकारी, पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण(अजमेर) आई.डब्ल्यू.एम.पी. कॉलोनी, चौरसियावास रोड, अजमेर 4- पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज अजमेर 5- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** JHABAR MAL YADAV **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 10/02/2026 14:30:46

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Female	1997				
2	Male	1969				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (श्वेत रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)